

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल संभाग ग्वालियर

PBR/निगरानी/गुना/भू.सं/2017/4688

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी

रज्जाक खा पुत्र नन्ने खा निवासी राघौगढ

तहसील राघौगढ जिला गुना

... निगरानीकर्ता

बनाम

1. इरशाद पुत्र कल्लू खा
2. फिरोज खा पुत्र कल्लू खा
3. शाहरुक खा पुत्र कल्लू खा सभी काधंधा कृषि निवासीगण राघौगढ, जिला गुना म.प्र.
4. परवीन बानो पुत्री कल्लू खा, धंधा कृषि निवासी राघौगढ जिला गुना
5. नफीसा बानो पत्नी कल्लू खा व्यवसाय कृषि निवासी राघौगढ जिला गुना

..... रेस्पोंडेन्टगण



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र भू राजस्व सहिता आदेश पारित
द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ, जिला गुना
म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2016-17 व उनवान इरशाद
खा बनाम रज्जाक खा, आदेश पारित दिनांक 31.10.2017, विरुद्ध

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./गुना/भू.रा./2017/4688 जिला-गुना
रज्जाक खां विरुद्ध इरशाद अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-8-19	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ जिला- गुना के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15.10.2019 को कलेक्टर, गुना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p></p> <p> (जे.के. जैन) सदस्य</p>	